

|                                                                                                   |                                                                                                       |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                            | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                               | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | कार्तिक 21, बुधवार, शाके 1947- नवम्बर 12, 2025<br>Kartika 21, Wednesday, Saka 1947- November 12, 2025 |                                                  |

भाग-1(ख)

**महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।**

**जल संसाधन विभाग**

**अधिसूचना**

**जयपुर, अक्टूबर 09, 2025**

**संख्या:22/भू.अ./ज.स./2025/1500-1504:-**चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि एवं पम्प हाउस, डिग्गी व जल उपयोक्ता संगम के भवन निर्माण कार्य हेतु भूमि को अवाप्त किया जाना आवश्यक है।

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में सलग्न सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत, नगरपालिका या नगर निगम से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का नियम, 2016 के नियम 6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, तृतीय बांरा को अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-3 (जी) एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1(51) Rev-6/2014/31 दिनांक 28.08.2015 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत्त, बांरा होंगे।

**विवरण**

जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली भूमि एवं पम्प हाउस, डिग्गी व जल उपयोक्ता संगम भवन निर्माण के अन्तर्गत ग्राम देवरी तहसील शाहबाद, जिला बांरा के खसरो की अवाप्ति हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

की धारा 4(1) के प्रस्ताव।

| क्र. स. | परियोजना का नाम            | ग्राम का नाम | ग्राम पंचायत | तहसील का नाम | जिला  | भूमि अवाप्ति अधिकारी                         |
|---------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------|----------------------------------------------|
| 1       | जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना | देवरी        | देवरी        | शाहबाद       | बांरा | भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन वृत्त, बांरा |

**फार्म-2**

**(देखे-नियम-5)**

**पार्ट-बी**

सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना  
सामाजिक समाघात निर्धारण की अधिसूचना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा-

|     |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (क) | परियोजना विकासकर्ता का नाम                                                                                                                                                                                 | अधिशायी अभियंता जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां                                                                                     |
|     | प्रस्तावित योजना का संक्षिप्त वर्णन और अर्जन के लिये प्रस्तावित भूमि का विस्तार, सामाजिक समाघात निर्धारण के अधीन आने वाले परियोजना क्षेत्र और प्रभावित क्षेत्र                                             | जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना के बाध निर्माण एवं डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली कुल भूमि 84.544 हैक्टेयर अधिग्रहण प्रस्तावित है। |
| (ख) | सामाजिक समाघात निर्धारण के मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण क्रियाकलाप जिसके अन्तर्गत (1) परामर्श (2) सर्वेक्षण (3) सार्वजनिक सुनवाई/ सुनवाईयाँ भी दें।                                                        | (1) परामर्श<br>(2) सर्वेक्षण<br>(3) सार्वजनिक सुनवाई                                                                            |
| (ग) | यदि ग्राम सभा और/ भू- स्वामी की सहमति अपेक्षित है तो अधिसूचना में इस बारे में कथन किया जाना होगा।                                                                                                          | अधिनियम की धारा 2(1) के अन्तर्गत लागू नहीं है।                                                                                  |
| (घ) | सामाजिक समाघात निर्धारण के लिये समय सीमा और सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकटीकरण की रीति के साथ अनेअचल परिणाम (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्धन) योजना विनिर्दिष्ट किए जाने होंगे। | अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया व समय के अनुसार                                                                                 |
| (ङ) | इस अवधि के दौरान इस आशय का कथन कि प्रपीडन या धमकी के प्रयास से कार्यवाही अकृत और शून्य हो जाएगी।                                                                                                           | हाँ                                                                                                                             |
| (च) | सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई से सम्पर्क करने संबंधी जानकारी                                                                                                                                                | कार्यालय अधिशायी अभियंता जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां                                                                            |

मुकेश कुमार गुप्ता,  
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.,  
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,  
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।